



# बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

पो0-बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014

**BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY**

**P.O.-BIHAR VETERINARY COLLEGE, PATNA – 800014**

रोजगार सूचना संख्या-07/2026

दिनांक-16/10/2026

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय, एवं इसके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों के विभिन्न 19 गैर-शैक्षणिक पदों के कुल 34 रिक्ति पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट [www.basu.org.in](http://www.basu.org.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है-

|                                                                                                                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरान्त (हस्तलिखित/कम्प्यूटरीकृत) भरा हुआ आवेदन प्रपत्र कुलसचिव, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि एवं समय* | 25/11/2026<br>(5:00 बजे अपराह्न तक) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

**नोट-** विज्ञापित पदों के लिए चयन प्रक्रिया के अनुरूप आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षा (Skill Test)/ कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा (यथा लागू) के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायेगा, जिसे विश्वविद्यालय वेबसाइट [www.basu.org.in](http://www.basu.org.in) पर देखा जा सकता है।

\*विश्वविद्यालय डाक व्यवस्था से संबंधित विलंब के लिये जिम्मेवार नहीं होगी एवं अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।

कुलसचिव (प्रभारी)  
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

विज्ञापन में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं अंगीभूत संस्थानों के संक्षिप्त रूप

|   |                                                        |                      |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Bihar Animal Sciences University, Patna (Head Quarter) | H. Qtr.              |
| 2 | Bihar Veterinary College, Patna                        | BVC, Patna           |
| 3 | Bihar State Institute of Dairy Technology, Patna       | BSIDT, Patna         |
| 4 | College of Veterinary and Animal Sciences, Kishanganj  | CoVAS,<br>Kishanganj |
| 5 | College of Fisheries, Kishanganj                       | CoF, Kishanganj      |



# बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

पो-बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-800014

**BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY**

P.O.-BIHAR VETERINARY COLLEGE, PATNA - 800014

रोजगार सूचना संख्या-07/2026

दिनांक-16/10/2026

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय, एवं इसके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों के विभिन्न गैर-शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट [www.basu.org.in](http://www.basu.org.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन भरने से संबंधित तिथि-

|                                                                                                                                                                                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरान्त (हस्तलिखित/कम्प्यूटरीकृत) भरा हुआ आवेदन प्रपत्र कुलसचिव, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि एवं समय | 25/11/2026<br>(5:00 बजे अपराह्न तक) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

## 1 पदवार एवं कोटिवार रिक्ति की विवरणी

| क्र० सं० | पद का नाम     | वेतनस्तर | संस्थान/ईकाई    | कुल रिक्ति | कोटिवार रिक्ति |               |                 |             |                     |                        |                          | 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या |
|----------|---------------|----------|-----------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|          |               |          |                 |            | अनारक्षित      | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | पिछड़ा वर्ग | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्गों की महिला | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |                                                                           |
| 1        | Ward Overseer | Level I  | BVC, Patna      | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                         |
| 2        | Head Mali     |          | BVC, Patna      | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                         |
| 3        | Milk Recorder |          | BVC, Patna      | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                         |
| 4        | Fisherman     |          | CoF, Kishanganj | 05         | 3              | 1             | -               | -           | 1                   | -                      | -                        | 1-UR                                                                      |

| क्र० सं० | पद का नाम                       | वेतन स्तर | संस्थान / ईकाई                 | कुल रिक्ति | कोटिवार रिक्ति |               |                 |             |                     |                        |                          | 35%<br>क्षैतिज<br>आरक्षण<br>के<br>फलस्वरूप<br>महिलाओं<br>के लिए<br>अनुमान्य<br>पदों की<br>कुल<br>संख्या |
|----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |           |                                |            | अनारक्षित      | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | पिछड़ा वर्ग | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्गों की महिला | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |                                                                                                         |
| 5        | OT Assistant                    | Level 2   | BVC, Patna & CoVAS, Kishanganj | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 6        | X-Ray Technician                |           | CoVAS, Kishanganj              | 02         | 1              | -             | -               | -           | 1                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 7        | Pump Operator                   |           | CoF, Kishanganj                | 02         | 1              | -             | -               | -           | 1                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 8        | Photographer                    |           | H. Qtr.                        | 02         | 1              | -             | -               | -           | 1                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 9        | Postmortem Technician           | Level 3   | BVC, Patna                     | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 10       | PTI cum Hostel Caretaker        | Level 4   | CoF, Kishanganj                | 02         | 1              | -             | -               | -           | 1                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
|          |                                 |           | CoVAS, Kishanganj              | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 11       | Stenographer                    |           | BSIDT, Patna                   | 05         | 3              | 1             | -               | -           | 1                   | -                      | -                        | 1-UR                                                                                                    |
| 12       | Talkie Operator                 |           | BVC, Patna                     | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 13       | Assistant to Artist             |           | BVC, Patna                     | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 14       | Storekeeper-Cum-Store Assistant |           | BVC, Patna                     | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 15       | Storekeeper ILFC                |           | BVC, Patna                     | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 16       | Data Console Operator           |           | BVC, Patna                     | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 17       | In-charge Medical Store         | Level 5   | BVC, Patna                     | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 18       | Feed Plant Technician           |           | BVC, Patna                     | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |
| 19       | Imaging Technician              |           | BVC, Patna                     | 01         | 1              | -             | -               | -           | -                   | -                      | -                        | -                                                                                                       |

2. पदवार शैक्षणिक योग्यता / तकनीकी योग्यता, चयन प्रक्रिया अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
3. पदवार लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं कौशल परीक्षा से संबंधित निर्देश क्रमशः अनुलग्नक-2, 3 एवं 4 के रूप में संलग्न है।

*for*

नोट:- (क) विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताए बिना, किसी एक या सभी पदों के लिए प्रारंभ की गयी भर्ती प्रक्रिया को किसी प्रक्रम पर विज्ञापन या किसी चरण को रद्द किया जा सकता है।

(ख) चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय मुख्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रतिनियुक्त/पदस्थापित करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।

## 2. आरक्षण:-

- (i) आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ii) आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (iii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं. 673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-
  - (a) जाति प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)
  - (b) स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्रआवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-
  - (a) जाति प्रमाण-पत्र
  - (b) स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
  - (c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)

- (v) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।
- (vi) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं.-2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। (Not more than 12 months old)
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं-13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्तियों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4 प्रतिशत देय होगा। आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार (मेडिकल बोर्ड), सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम-से-कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत का निश्चिन्ता (दिव्यांगता) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक- 09.07. 2025 के द्वारा 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमान्य होगा।
- (x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी

के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र एवं पहचान पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

- (xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक -16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (xii) उपर्युक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

3. उम्र सीमा :- बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम की कंडिका 6.8 में विहित प्रावधान के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक संख्या-11/आ०-विविध-05/2013 सा०प्र०-294 पटना-15 दिनांक 07.01.2016 के अनुरूप आयु सीमा निम्नवत होगी :-

- (i) न्यूनतम आयु - आवेदन करने की अंतिम तिथि (दिनांक 25/11/2026) को न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष।
- (ii) अधिकतम आयु- अनारक्षित (पुरुष)-37 वर्ष, अनारक्षित (महिला)/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) -40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या-2374, दिनांक- 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प ज्ञापांक-22218, दिनांक 12.12.2022 के आलोक में उच्च पद पर आवेदन हेतु बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पांच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। बिहार सरकार के सरकारी सेवको को आयु सीमा की छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iv) सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प संख्या-962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(v) बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत उच्च पद पर चयन हेतु आवेदन करने के लिए विश्वविद्यालय परिनियम की कंडिका 6.8 में निहित प्रावधान के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबंध नहीं होगा।

4. मेधा सूची में tie होने पर दिशा-निर्देश:

- क) चयन प्रक्रिया के अनुरूप मेधा सूची में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे।
- ख) इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों का जन्म तिथि समान हों तो ऐसे अभ्यर्थी की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

5. परीक्षा शुल्क :-

- (क) अप्रतिदेय परीक्षा शुल्क (Non-refundable Application Fee) का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से "वित्त नियंत्रक, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना (Finance Comptroller, Bihar Animal Sciences University, Patna)" के पक्ष में, पटना में भुगतेय होगा।
- (ख) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रु 200/- (दो सौ रुपये) तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रु 800/- (आठ सौ रुपये) का प्रत्येक पद हेतु शुल्क निर्धारित है।
- (ग) वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है या उस पर किसी प्रकार संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के

अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

#### 7. महत्वपूर्ण निर्देश/आवश्यक शर्तें :-

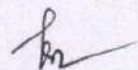
- (1) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र में स्व-अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न कर "कुलसचिव, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना-800014" के पते पर निर्धारित समय के अंदर पर निबंधित/रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा। पतायुक्त लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षरों में उद्धृत करना अनिवार्य होगा।
- (2) विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:-
  - a) बिना कोई कारण बताए किसी भी विज्ञापित पद को किसी भी समय वापस लेना।
  - b) किसी भी कारण वश विज्ञापित कुछ अथवा सभी पदों को भरना अथवा न भरना।
  - c) चयन के समय पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी करना तथा तदनुसार नियुक्तियां करना।
  - d) अंतिम निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने से पूर्व, किसी त्रुटि अथवा अन्य कारण वश विज्ञापन/वेबसाइट में किसी प्रकार का संशोधन, सुधार, जोड़, शुद्धि पत्र (Corrigendum) अथवा परिशिष्ट (Addendum) जारी करना। ऐसे संशोधन/सुधार/शुद्धि पत्र/परिशिष्ट की सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- (3) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (3) आवेदक द्वारा आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय अंतिम निर्णय होगा।
- (4) पूर्व से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवार को उनके वर्तमान नियोक्ता से एनओसी-सह-सतर्कता (NO OBJECTION-CUM-VIGILANCE CLEARANCE)

प्रमाण पत्र आवेदन के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुसूची -1 के रूप में निर्धारित प्रपत्र संलग्न की गई है।

- (5) आवेदन पत्र में विज्ञापन संख्या, पद का क्रमांक, पद का नाम एवं अन्य वांछित सूचनायें भरना आवश्यक है।
- (6) आवेदक आवेदन प्रपत्र [www.basu.org.in](http://www.basu.org.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।
- (7) सेवा बंधपत्र (Service Bond)- चयनित अभ्यर्थियों को सेवा में योगदान के समय ₹1,000/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp Paper) पर एक बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके माध्यम से उन्हें कम-से-कम तीन वर्ष तक अथवा विश्वविद्यालय में प्रचलित नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय की सेवा करना अनिवार्य होगा। बंधपत्र की अवधि के दौरान बाहरी/अन्य रोजगार के लिए किए गए किसी भी आवेदन को अग्रसारित नहीं किया जाएगा।
- (8) किसी खण्ड या नियमों में किसी भी अस्पष्टता या स्पष्टता कि कमी के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का रहेगा।
- (9) विश्वविद्यालय के खिलाफ किसी भी विवाद, किसी मुकदमे या कानूनी कार्रवाई के मामले में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, पटना तक सीमित होगा।
- (10) वैसे सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित फर्जी संस्थान से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री या डिप्लोमा या अन्य प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। उसकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी।
- (11) उम्मीदवार को अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- (12) लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा (यथा लागू) में भाग लेने के लिए किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (13) किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को आवेदन उचित माध्यम से भेजना निर्धारित तिथि के अंदर निर्धारित पते पर भेजना अनिवार्य है। उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति पर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- (14) विश्वविद्यालय परिनियम के अध्याय-VII के नोट-6 (iii) के अनुसार, चयन हेतु अभ्यर्थी को मेधा क्रम (Merit Order) में शामिल किए जाने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तथाप, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 06/BASU(II)07/2023-4229, DFARD, Bihar, दिनांक 13.11.2023 द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों, दिव्यांग

(Divyang) वर्ग के अभ्यर्थियों तथा महिला अभ्यर्थियों, चाहे वे किसी भी वर्ग से संबंधित हों को मेधा सूची में शामिल किए जाने हेतु साक्षात्कार में न्यूनतम 32% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, यदि लागू हो तो।

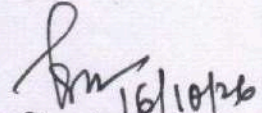
- (15) इस आवेदन के साथ संलग्न किसी प्रकार का सत्यापित प्रति वापस नहीं किया जायेगा।
- (16) आवेदक यदि किसी सरकारी सेवा में है तो अपना आवेदन वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से भेजेंगे तथा अग्रिम प्रति अवश्य ही अंतिम तिथि के पहले पहुँच जाना चाहिए।
- (17) अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन का छायाप्रति निश्चित रूप से अपने पास भविष्य हेतु सुरक्षित रखेंगे, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर निश्चित रूप से प्रस्तुत कर सकें।
- (18) अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूलरूप में कौशल परीक्षा (Skill Test)/अथवा नियुक्ति के पूर्व यथानिर्धारित तिथि को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूलरूप से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास होगा।
- (19) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की गई सूचना अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की गई जानकारी एक निश्चित अवधि के लिए ही रहता है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जानकारी डाउनलोड कर भविष्य हेतु सुरक्षित रखेंगे। भर्ती के बीच में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त किसी भी आवेदन को न तो विचार किया जाएगा और न ही जानकारी प्रदान की जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तथ्यात्मक जानकारी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा।
- (20) अभ्यर्थी के योगदान के पश्चात भी अगर नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार के inadvertent mistake की दशा में नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।
- (21) किसी भी पद के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर बनाए गए अधिनियम/परिनियम का पालन करना अनिवार्य है।
- (22) अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय वेबसाईट पर विज्ञापन के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र प्रारूप हस्तलिखित स्वीकार नहीं किये जायेंगे परन्तु आवेदन फॉर्म/आवेदन प्रपत्र के रिक्त स्थानों को भरने के लिए हस्तलिखित करने की मान्यता होगी। साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।



(23) विश्वविद्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में, नियुक्ति के समय या सेवा अवधि के दौरान किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं उसके पूर्व वृत्तान्त का किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है। यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज फर्जी हैं या अभ्यर्थी का कोई गोपनीय पूर्व वृत्तान्त/पृष्ठभूमि है और उसके द्वारा उक्त सूचना को जानबूझकर छिपाया गया है, तो उसकी सेवा तुरन्त समाप्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी तथा अन्य विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

स्थान:— पटना

दिनांक:— 16.10.2026



कुलसचिव (प्रभारी)

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

एन0ओ0सी0-सह-सतर्कता (NO OBJECTION-CUM-VIGILANCE CLEARANCE)

प्रमाण-पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ..... पदनाम.....

..... वेतनमान..... में नियमित रूप से कार्यरत हैं। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या ..... दिनांक..... के तहत पदनाम .....पर चयन होने के उपरांत योगदान करने हेतु इन्हें बिना किसी विलंब के विरमिit कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ..... के विरुद्ध कोई अनुशासनिक या अपराधिक या सतर्कता संबंधी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है।

संस्थान प्रधान / सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर

